क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
एफ.सी.आई, गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़
ई मेल– ro.chittorgarh@gmail.com

क्रमांक : राप्रनिम / क्षे.का चित्तौड़ / पी.एम.–187 / 403 दिनाँक :

मैसर्स पियुष शारदा
ग्राम– जलोदिया व केलुखेडा,
तहसील– छोटी सादडी,
जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

विषय:– पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई बाबत्।

संदर्भ:– जिला कलेक्टर, प्रतापगढ़ का पत्र क्रमांक राजस्व / विविध / 2020 / 1451–53 दिनांक 14.07.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि मैसर्स पियुष शारदा द्वारा रेड ऑकर माईनिंग प्रोजेक्ट, (एम.एल नं – 25 / 2018) एरिया 2.2161 हैक्टेयर, ग्राम– जलोदिया केलुखेडा, तहसील– छोटी सादडी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक जन सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को समय प्रातः 11:00 बजे से 1:30 बजे तक, स्थान– प्रस्तावित माईनिंग लीज स्थल, ग्राम– जलोदिया केलुखेडा, तहसील–छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.) पर जिला कलक्टर / अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की जावेगी।

इसी क्रम में निवेदन है कि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः संलग्न प्रारूप में लोक जन सुनवाई हेतु "आम सूचना" एक मुख्य दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं एक क्षेत्रीय भाषा के दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 27.07.2020 से पूर्व प्रकाशित करावें।

अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(शरद सक्सेना)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ को संदर्भित पत्र क्रमांक राजस्व / विविध / 2020 / 1451–53 दिनांक 14.07.2020के क्रम में।
2. ए सी पी, कम्प्यूटर शाखा, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर। (प्रस्तावित परियोजना के कार्यकारी सारांश व ई.आई.ए. रिपोर्ट की सीडी संलग्न)

क्षेत्रीय अधिकारी

☎ 01472 255077

क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल,
एफ.सी.आई, गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़

क्रमांक : राप्रनिम / क्षे.का चित्तौड़ / पी.एम.–187 / दिनाँक :

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक जन सुनवाई के लिए आम सूचना

1 सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स पियुष शारदा, रेड ऑकर माईनिंग प्रोजेक्ट, (एम.एल नं – 25 / 2018) एरिया 2.2161 हैक्टेयर, ग्राम– जलोदिया केलुखेडा, तहसील– छोटी सादडी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति बाबत् लोक सुनवाई दिनांक 25.08.2020 को समय प्रातः 11:00 बजे से 1:30 बजे तक, स्थान– प्रस्तावित माईनिंग लीज स्थल, ग्राम– जलोदिया व केलुखेडा, तहसील–छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ़ (राज.) के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किये गये है।

2 और चूंकि श्री मैसर्स पियुष शारदा, ने राज्य मण्डल को परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन किया है।

3 और चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।

4. उक्त परियोजना से सम्बन्धित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी सारांश) निम्नांकित कार्यालयो पर उपलब्ध है:–

I. जिला कलेक्टर कार्यालय, प्रतापगढ़।
II. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ.सी.आई, गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़।
III. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
IV. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
V. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ।
VI. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, प्रतापगढ़।
VII. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, प्रतापगढ़।
VIII. उपखण्ड अधिकारी, छोटी सादडी, जिला– प्रतापगढ़

अतः समस्त सम्बन्धित को इस नोटिस के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से सम्बन्धित **लोक सुनवाई हेतु दिनांक 25.08.2020 को समय प्रातः 11:00 बजे से 1:30 बजे तक, स्थान– प्रस्तावित माईनिंग लीज स्थल, ग्राम– जलोदिया केलुखेडा, तहसील–छोटी सादडी, जिला प्रतापगढ़** (राज.) में उपस्थित होकर अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकते है।

किसी भी सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा लिखित में सुझाव / आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, एफ.सी.आई, गोदाम के पास, चन्देरिया, चित्तौडगढ़ में भी दिये जा सकते है।

क्षेत्रीय अधिकारी